

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या:- 08/2018

दायर दिनांक:- 22/02/2018

निर्णय दिनांक:- 13.07.2021

उनवान

1. हेमराज पिता नाथुलाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
वादी

बनाम

1. मदनलाल पिता नारायण जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
2. मुकेश पिता हीरालाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
3. संतोष पत्नी हीरालाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
4. मंजूदेवी बेवा दिनेशचन्द्र जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
5. गोविन्दराम पिता मांगीलाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
6. मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
7. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:- 1. श्री रामलाल गुर्जर

2. श्री पैरोकार सरकार

:-निर्णय:-

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:-

यह है कि मौजा भूपालसागर पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हल्के बेरुनी में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात खाता सं. 625 में दर्ज आ.न. 1074,1075,1076,1078,1415 व 2561/1075 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 0.84 हैक्ट. स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोन, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया है। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.04.2021 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय



A. K. Singh
सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जिला-चित्तौडगढ़ (राज.)

बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंड्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा-

क्र. सं.	काश्तकार	आ.न.	रकबा	किस्म
1	हेमराज पिता नाथुलाल लौहार नि. भूपालसागर	1078/1 2561/1075/1	0.2500 हैक्ट. 0.0200 हैक्ट.	नहरी 2 बा. 2
	योग		0.2700 हैक्ट.	
2	हीरालाल,मदनलाल पिता नारायण 1/2 गोविन्दराम,मोहनलाल पिता मांगीलाल 1/2 लौहार नि. भूपालसागर	1078/2 1076 2561/1075	0.2800 हैक्ट. 0.1600 हैक्ट. 0.1000 हैक्ट.	नहरी 2 नहरी 2 बा. 2
	योग		0.5400 हैक्ट.	
3	हेमराज पिता नाथु लौहार 1/3 हीरालाल,मदनलाल पिता नारायण 1/3 गोविन्दराम, मोहनलाल पिता मांगीलाल 1/3 लौहार नि. भूपालसागर	1074 1075 1415	0.0100 हैक्ट. 0.0100 हैक्ट. 0.0100 हैक्ट.	आ.चा. आ.ओडी बाड़ा
	योग		0.0300 हैक्ट.	

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंड्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल) 13/7/21
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

अंतिम डिक्री बमुकददमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल. (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 08/2018

दायर दिनांक:- 22/02/2018

निर्णय दिनांक:- 13.07.2021

उनवान

- 1 हेमराज पिता नाथुलाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

वादी


बनाम

1. मदनलाल पिता नारायण जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. मुकेश पिता हीरालाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. संतोष पत्नी हीरालाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. मंजूदेवी बेवा दिनेशचन्द्र जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. गोविन्दराम पिता मांगीलाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति लौहार निवासी-भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
7. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।


प्रतिवादी

बाबत राजस्व वाद अर्न्तगत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रुबरु वादी का वाद अर्न्तगत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पूर्व में स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 08/2018 में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी। तत्पश्चात तहसीलदार भूपालसागर से बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री पक्षकारानों के वकील को सुन कर जारी की जाती है। जिसमें बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार काश्तकारों के बंट (हिस्से) मे निम्न सारणी अनुसार भूमि हिस्से में रखी जाती है:-

क्र. सं.	काश्तकार	आ.न.	रकबा	किस्म
1	हेमराज पिता नाथुलाल लौहार नि. भूपालसागर	1078/1 2561/1075/1	0.2500 हैक्ट. 0.0200 हैक्ट.	नहरी 2 बा. 2
	योग		0.2700 हैक्ट.	



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ (राज.)



2	हीरालाल, मदनलाल पिता नारायण 1/2 गोविन्दराम, मोहनलाल पिता मांगीलाल 1/2 लौहार नि. भूपालसागर	1078/2 1076 2561/1075	0.2800 हैक्ट. 0.1600 हैक्ट. 0.1000 हैक्ट.	नहरी 2 नहरी 2 बा. 2
	योग			
3	हेमराज पिता नाथु लौहार 1/3 हीरालाल, मदनलाल पिता नारायण 1/3 गोविन्दराम, मोहनलाल पिता मांगीलाल 1/3 लौहार नि. भूपालसागर	1074 1075 1415	0.5400 हैक्ट. 0.0100 हैक्ट. 0.0100 हैक्ट. 0.0100 हैक्ट.	आ.चा. आ.ओडी बाड़ा
	योग		0.0300 हैक्ट.	

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

A
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़



A
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)